विज्ञापन सं. 51/2021

संघ लोक सेवा आयोग

संयुक्त सचिव स्तर तथा निदेशक स्तर के पदों के लिए संविदा आधार पर पार्श्व (लेटरल) भर्ती हेतु (वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से*) ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है ।

भारत सरकार ने संयुक्त सचिव तथा निदेशक स्तर के अधिकारियों की भर्ती के लिए एक मांगपत्र प्रस्तुत किया है । तद्नुसार, ऐसे प्रतिभाशाली एवं आत्मप्रेरित भारतीय नागरिक जो विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, में निम्नलिखित पदों पर संयुक्त सचिव या निदेशक, ग्रुप 'ए' स्तर पर सरकार ज्वाइन करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के इच्छुक हैं, से संविदा आधार पर (राज्यों / संघ शासित संवर्गों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर) 3 वर्ष की अवधि के लिए (कार्य निष्पादन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है) वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन पत्र **22 मार्च, 2021** तक आमंत्रित किए जाते हैं ।

1. **(पद आईडी सं. 21025101406)** कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि / बागवानी / सूक्ष्म जीव विज्ञान / कृषि विस्तार / कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विपणन / जैविक खेती / फसल विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव** : निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव :- (i) कृषि विस्तार (ii) मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन (iii) वृक्षारोपण (iv) कृषि जनगणना (v) कृषि विपणन एवं व्यापार (vi) कृषि ऋण (vii) फसल बीमा (viii) सूखा प्रबंधन (ix) बागवानी विकास (x) खेती मशीनीकरण ओर प्रौद्योगिकी (xi) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (xii) बीज और तिलहन (xiii) पादप संरक्षण (xiv) वर्षा आधारित खेती और सिंचाई (xv) फसल प्रबंधन (xvi) जैविक खेती । **कार्य विवरण** : संयुक्त सचिव, उन्हें सौंपे गए कार्य क्षेत्र में नीति निर्माण, कार्यान्वयन और विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं / परियोजनाओं आदि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे ।

2. **(पद आईडी सं. 21025102406)** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त

विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या व्यवसाय अर्थशास्त्र या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर उपाधि, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, आपरेशन रिसर्च और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अतिरिक्त योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी । **(ख) अनुभव** : निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव :- (i) राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन का प्रबंधन । (ii) पूर्व रोजगारों में वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक / सिस्टम आर्किटेक्ट / सी टी ओ की भूमिका धारित की हो । **कार्य विवरण** : संयुक्त सचिव, उन्हें सौंपे गये कार्य क्षेत्र में नीति निर्माण, कार्यान्वयन और विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं / परियोजनाओं आदि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे ।

3. **(पद आईडी सं. 21025103406)** राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : अर्थशास्त्र या वाणिज्य या वित्त या व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या चार्टरित लेखाकार, आई सी डब्ल्यू ए में व्यावसायिक योग्यता । **(ख) अनुभव** : निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव :- (क) आयकर (ख) सीमा-शुल्क / सोना नियंत्रण (ग) जी एस टी (सभी कर जो जी एस टी लागू होने से पहले प्रचलित हो) (घ) नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (ड.) वित्तीय आसूचना और मनीलांडरिंग की रोकथाम । **कार्य विवरण** : संयुक्त सचिव (रा.वि.), उन्हें सौंपे गये कार्यों के क्षेत्र में नीति निर्माण, कार्यान्वयन और विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं / परियोजनाओं आदि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे ।

4. **(पद आईडी सं. 21025104406)** कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक (कृषि विपणन) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि अर्थशास्त्र या कृषि जनित व्यापार या कृषि विपणन में विशेषज्ञता सहित कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** कृषि जनित व्यापार सहित कृषि विपणन के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी जी डी एम) / व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि । **कार्य विवरण** : (i) कृषि विपणन अवसंरचना (ए एम आई), उद्यम पूंजी सहायता (बी सी ए) जैसे कृषि विपणन संबंधी एकीकृत योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी करना । (ii) प्लेटफार्म के रूप में ई- एन ए एम / ई-ट्रैडिंग का विकास और विस्तार और प्लेटफार्म के रूप में ई-एनएएम का विकास । (iii) नीति और निर्णय लेने में सहायता के लिए एग्मार्क के पोर्टल के माध्यम से बाजार के रूझान और कृषि बाजार प्रणाली के अन्य विश्लेषण की निगरानी करना । (iv) कृषि वस्तुओं की मांगों और कीमत के पूर्वानुमान को समर्थ करने के लिए विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (एम आर आई एन) योजना को मजबूत करने में सहायता करना । (v) एग्मार्क ग्रेड और कृषि मानकों तथा कृषि उत्पादों (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम के अंतर्गत संबंधित उत्पाद को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करना और मानक के कार्यान्वयन के लिए एग्मार्क प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय करना । (vi) ई-एनएएम के अंतर्गत

परीक्षण, ग्रेड और मानक का विकास तथा उन्हें सुदृढ़ करना । (vii) किसान उत्पाद संगठन (एफ पी ओ एस) के गठन और संवर्धन को समन्वित करना । (viii) गॉव हाट / ग्राम के विकास को समन्वित करना । (ix) मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 और मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन ठेका खेती और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018 के संवर्धन के लिए राज्यों के साथ समन्वय सहित कृषि विपणन और ठेका खेती में सुधार शुरू करने और कार्यान्वयन करने में सहयोग प्रदान करना (x) किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 पर केन्द्रीय अध्यादेश को समन्वित और प्रोत्साहित करना। (xi) भागीदारों के सहयोग से समुचित बाजार आसूचना और पूर्वानुमान सिस्टम को विकसित करना और इसका प्रचार-प्रसार करना । (xii) कृषि विपणन में डी एम आई, एसएफएसी और एनआईएएम जैसे संगठनों के साथ समन्वय करना ताकि इन संगठनों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके । (xiii) विपणन प्रभाग के लिए बजट तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना । (xiv) कृषि विपणन में नीतिगत सुधारों और अन्य हस्तक्षेप लक्ष्यीकरण के लिए कृषि विपणन क्षेत्र में अंतराल, कमियों और उभरती चुनौतियों को चिह्नित करने के लिए राज्य सरकार / संघ शासित प्रशासनों, उद्योगों और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क और समन्वय करना । (xv) एफ ए ओ, विश्व बैंक आदि जैसे संगठनों की परियोजना रिपोर्टों का विश्लेषण करना । (xvi) कृषि विपणन से संबंधित मुद्दों पर ईएफसी नोट और केबिनेट नोट प्रतिपादित और तैयार करना । (xvii) कृषि विपणन के क्षेत्र में योजनाओं को प्रतिपादित करना और ऐसी योजनाओं पर प्रचालन दिशा-निर्देश और मानक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना । (xviii) कृषि विपणन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की समीक्षा करना। (xix) कृषि विपणन में कौशल विकास के लिए आवश्यकताओं का आकलन करना और कौशल विकास और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए और योजनाएं तैयार करना ।

5. **(पद आईडी सं. 21025105406)** नागर विमानन मंत्रालय में निदेशक (विमानन प्रबंधन) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.ई. या बी.टेक. या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विज्ञान में स्नातक उपाधि । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** विमानन क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** : सूचना प्रौद्योगिकी / विधि / वित्तीय प्रबंधन में अनुभव । **कार्य विवरण** : विमानन क्षेत्र से संबंधित सरकारी कार्य का निपटान ।

6. **(पद आईडी सं. 21025106406)** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक (कृषि व्यापार विशेषज्ञता) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन या कृषि विपणन या अर्थशास्त्र या

विदेश व्यापार या वाणिज्य या व्यवसाय अर्थशास्त्र या मात्रात्मक विधियां / सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** कृषि वस्तु निर्यात संवर्धन / विदेश में विपणन कार्यनीति तैयार करने और कार्यान्वयन संबंधी कार्य में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव । **कार्य विवरण** : (i) वैश्विक और भारत के कृषि व्यापार और विनिर्माण रुझानों पर कृषि संबंधी वस्तु वार डेटा/ सूचना को संकलित करना और बाजार विशिष्ट कृषि वस्तु विपणन और निर्यात कार्यनीतियों को कवर करने वाले पहलुओं जैसे : 1. एसपीएस आवश्यकताओं के क्षेत्र सहित विदेशों में आ रही टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं का समाधान करने संबंधी दृष्टिकोण जैसे पहलुओं को कवर करना । 2. प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार में पैठ और ब्रांड स्थिति / जागरूकता को सक्षम बनाने के लिए क्षमता संवर्धन प्रचार / प्रोत्साहन / सुविधा उपाय को तैयार करने / लागू करने के लिए उपयुक्त कम्प्यूटेशनल तकनीक का उपयोग करके इसका विश्लेषण करना । (ii) घरेलू और विदेशी हितधारक परामर्श आयोजित करना और समन्वय निर्यातक / उत्पादक आउटरीच तथा विदेशी मिशनों के साथ इंटरफेस, संगत विदेशी हितधारकों, भारत में विदेशी मिशनों, भारत सरकार के विभागों / अभिकरणों, राज्य सरकारों आदि के साथ समन्वय करना । (iii) लक्षित परिणामों की प्राप्ति का समर्थन करने संबंधी कार्यनीतियां तैयार करने के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन और विदेशों में अनुसंधान सहित अनुसंधान आयोजित करना / करवाना (iv) व्यापार शो में समन्वय और योजना भागीदारी और विपणन कार्यनीतियों को डिजाइन करने हेतु निर्यातकों की सुविधा के लिए सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करना। (v) मिशन और उद्योग द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन और यदि आवश्यक हो तो कार्यनीति में उचित बदलाव की अनुशंसा करना । (vi) सभी मौजूदा और संभावित बाजारों की निगरानी और उचित व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सहायता करना । (vii) निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी निर्यात व्यापार योजना तैयार करना । (viii) सभी कार्यो का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों और उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और सभी निर्यात उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। (ix) भारतीय निर्यातों के लिए विशेष रूप से नॉन-टैरिफ बाधाओं के संबंध में कृषि निर्यात बाजारों में बदलते परिदृश्य का अध्ययन और अनुसंधान करना। (x) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संगत कृषि संबंधित व्यापार, टैरिफ और उत्पादन डेटा की पहचान और प्रसंस्करण करना। (xi) केंद्र और राज्य स्तर पर कृषि निर्यात-नीति का कार्यान्वयन। (xii) विश्व व्यापार संगठन में कृषि वार्ता पर समझौते से संबंधित मुद्दों को हैंडल करना । (xiii) नियामक प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना और तकनीकी मानकों, एसपीएस और टीबीटी उपायों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह देना।

7. **(पद आईडी सं. 21025107406)** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक (निर्यात विपणन) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन या अर्थशास्त्र या विदेश व्यापार या वाणिज्य या व्यवसाय अर्थशास्त्र या मात्रात्मक पद्धतियां / सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** वस्तु / सेवा स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन / विदेश विपणन कार्यनीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन

कार्य में न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव । **कार्य विवरण** : (i) वैश्विक और भारत के वस्तुओं और सेवा व्यापार और विनिर्माण रुझानों पर वस्तु / क्षेत्रवार डेटा/ सूचना को संकलित करना और बाजार विशिष्ट क्षेत्रक वस्तु विपणन और निर्यात कार्यनीतियों को कवर करने संबंधी पहलुओं को लागू करने के लिए उपयुक्त कम्प्यूटेशनल तकनीक का उपयोग करके इसका विश्लेषण करना जैसे 1. एसपीएस / टी बी टी अपेक्षाओं वाले क्षेत्रों सहित विदेशों में सामना की जा रही टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं का समाधान करना । 2. प्रतिस्पर्धात्मकता बाजार में पैठ और ब्रांड स्थिति / जागरूकता को सक्षम बनाने के लिए क्षमता संवर्धन / प्रचार / प्रोत्साहन / सुविधा उपाय, तैयार करके इसका विश्लेषण करना । (ii) घरेलू और विदेशी हितधारक परामर्श आयोजित करना और समन्वय निर्यातक / उद्योग आउटरीय और विदेशी मिशन के साथ इंटरफेस, संगत विदेशी हितधारक, भारत में विदेशी मिशनों, भारत सरकार के विभागों/अभिकरणों,राज्य सरकारों आदि के साथ समन्वय करना । (iii) लक्षित परिणामों की प्राप्ति का समर्थन करने संबंधी कार्यनीतियां तैयार करने के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन और विदेशों में अनुसंधान सहित अनुसंधान आयोजित करना / करवाना । (iv) ईपीसी के कुशल कामकाज की देख-रेख करना, निर्यातक देश की अपेक्षाओं के अनुसार निर्यात कार्यनीति डिजाइन करना। (v) व्यापार शो में समन्वय और योजना भागीदारी और कुशल विपणन कार्यनीतियों को डिजाइन करने हेतु निर्यातकों की सुविधा के लिए सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करना। (vi) मिशनों और उद्योगों द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन करना और यदि अपेक्षित हो तो कार्यनीति में उचित बदलाव की अनुशंसा करना। (vii) सभी मौजूदा और संभावित बाजारों की निगरानी और उचित व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सहायता करना। (viii) निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी निर्यात व्यापार योजना तैयार करना। (ix) सभी कार्यो का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों और उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और सभी निर्यात उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। (x) भारतीय निर्यातकों के लिए विशेष रूप से नॉन-टैरिफ बाधाओं के संबंध में कृषि निर्यात बाजारों में बदलते परिदृश्य का अध्ययन और अनुसंधान करना। (xi) विश्व व्यापार संगठन के नियमों और विनियमों तथा उनके निहितार्थ के प्रति सचेत रहना ।

8. **(पद आईडी सं. 21025108406)** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक (विदेश व्यापार विश्लेषक) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन या अर्थशास्त्र या विदेश व्यापार या वाणिज्य या व्यवसाय अर्थशास्त्र या मात्रात्मक पद्धतियां / सांख्यिकी में स्नातकोत्त उपाधि । **(ख) अनुभव :** व्यापार विश्लेषण के क्षेत्र में या केन्द्र / राज्य सरकारों के विनियमों से अभिशासित अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पूर्वानुमान / व्यापार / बाजार विश्लेषण / अध्ययन / कार्यान्वयन में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव । **कार्य विवरण** : (1) आयात और निर्यात नीतियों, टैरिफ और नॉन- टैरिफ उपायों, घरेलू / विदेशी उत्पादन की स्थिति आदि जैसी अन्य विशेषताओं सहित वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सकल और एच एस / सेवाएं कोडवार और भिन्न भिन्न किस्म के विदेश व्यापार एफडीआई डेटा और संबंधित आर्थिक डेटा को संकलित करना। (2) वास्तविक व्यापार निवेश अवसरों

और हितों के कार्यान्वयन तथा नीति निर्माण हेतु इनपुट प्रदान करने के लिए एक्सेल डाटा और इसी तरह के अन्य सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके उन्नत कम्प्यूटेशनल तरीकों का उपयोग करते हुए सांख्यिकी और व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता निर्धारित करने संबंधी तकनीकों एवं अवधारणाओं को अपनाते हुए इस व्यपार / एफ डी आई और अर्थव्यवस्था संबंधी डाटा का आर्थिक विश्लेषण, अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू भी आते है : (i) तुलनात्मक लाभ के क्षेत्र (ii) वैश्विक मांग / व्यापार के रुझान और अवसर (iii) टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों / विदेशों में आ रही बाधाओं का समाधान करना और उनके इष्टतम घरेलू कैलीब्रेशन, जिसमें एसपीएस / टीबीटी मानकों के क्षेत्र शामिल हैं । (iv) निर्यात वृद्धि के लिए घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और एफडीआई को आकर्षित करने के उपाय। (v) निर्यातक / निवेशक सुविधा और प्रोत्साहन के उपाय (vi) सीवीडी सुरक्षा उपायों और एडीडी के माध्यम से व्यापार रक्षा उपायों को शामिल करना। (vii) मूल अनुपालना नियमों, द्धिपक्षीय सुरक्षा उपायों, एफटीए समीक्षाओं आदि के संबंध में तथा एफटीए के तहत अधिमान्य व्यापार और घरेलू हितों की रक्षा उपायों का विश्लेषण। (3) घरेलू और विदेशी हितधारक परामर्श का आयोजन और समन्वय करना, निर्यातक / निवेशक / उद्योग / आउटरीच तथा भारत सरकार के संगत विभागों/अभिकरणों, राज्य सरकारों विदेशी हितधारकों, मिशनों, भारत में विदेशी मिशनों के साथ इंटरफेस । (4) यथोचित व्यापार राजकोषीय / क्षेत्रीय नीति हस्तक्षेपों को तैयार करने में सहायता करना। (5) विदेश व्यापार और निवेश संवर्धन के क्षेत्र में लक्षित परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करने संबंधी कार्यनीति को संचालित करना / लागू करना तथा विदेशी अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना । (6) विश्व व्यापार संगठन के नियमों और विनियमों तथा उनके निहितार्थ के प्रति सचेत रहना ।

9. **(पद आईडी सं. 21025109406)** वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक (लॉजिस्टिक) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या अर्थशास्त्र या विदेश व्यापार या वाणिज्य या व्यवसाय अर्थशास्त्र या प्रबंधन या आपरेशन रिसर्च / मात्रात्मक पद्धतियां / सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** आपरेशन रिसर्च मॉडलिंग / लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिमुलेशन कार्य, बुनियादी ढ़ांचे / परिवहन मिक्स ऑप्टिमाइजेशन एकीकृत प्रक्रियात्मक और एप्रुवल सिस्टम और मॉनिटरिंग इन्स्ट्रूमेंटेशन सहित निर्बाध बहु-मॉडल नेटवर्क का विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और संबंधित रणनीतिक विकास कार्यान्वयन के किसी एक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव । **कार्य विवरण** : (i) प्रचलित लाजिस्टिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का विश्लेषण मोड और उनकी कमियों और संबंधित बुनियादी ढांचे / प्रक्रियात्मक अंतराल / अक्षमताओं और अंतर-मॉडल असंतुलन और अनुकूलता में। (ii) लाजिस्टिक सेवाओं / आपरेशनों के घटक और समग्र लागतों का विश्लेषण करना और आपरेशन रिसर्च उपकरणों और परिदृश्य निर्माण के माध्यम से परिवहन सेवाओं के सबसे किफायती और कुशल साधनों का निर्धारण करना और प्रक्रियाओं और परिपाटियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए लाजिस्टिक आईटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर पर विचार

करना और उसका उपयोग करना (iii) आपूर्ति श्रृंखला के सभी तत्वों के संगत डेटा और विश्लेषण की व्यवस्था करना। (iv) उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, अवसंरचना सृजन और कागज रहित ऑन-लाइन डिजिटल निगरानी प्रबंधन / ट्रांस शिपमेंट आगे की ओर अनुमोदन प्रणाली सहित के लिए समन्वित और एकीकृत अंतर मॉडल लॉजिस्टिक हस्तक्षेप विकसित करना, सामान्य प्रक्रियात्मक और दस्तावेजीकरण रूपरेखाओं के अंतर्गत है। इसमें संबंधित विभागों के साथ मिलकर इष्टतम उपयोग, लागत को न्यूनतम करके एकीकृत अंतर मॉडल लॉजिस्टिक्स मिक्स को सुनिश्चित करना। (v) आपूर्ति श्रृंखला संचालन में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में निगरानी और काम करना। (vi) माल के इष्टतम मोड-मिश्रण और मार्ग पर मंत्रालयों के साथ काम करना। (vii) वरिष्ठ प्रबंधन के लिए उचित और सटीक लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट की नियमित तैयारी और प्रस्तुतीकरण । (viii) लॉजिस्टिक्स में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के तरीकों की पहचान करना। (ix) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हितधारक परामर्श और समन्वय करना।

10. **(पद आईडी सं. 21025110406)** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में निदेशक (लॉजिस्टिक) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.ई. / बी.टेक. या व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** लाजिस्टिक में विशेष रूप से माल की आवाजाही में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यवसाय प्रशासन **(**लाजिस्टिक प्रबंधन / आपूर्ति श्रृंखला) में स्नातकोत्तर उपाधि । **कार्य विवरण** : i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को अपने अधिकार में ले लेने के उपरान्त प्राप्तकर्ता राज्यों को उनकी आवाजाही के लिए योजना बनाना और निगरानी करना ii) प्रायोजित खाद्यान्न के लदान के लिए रैक / वैगन की आपूर्ति के संबंध में रेलवे के साथ समन्वय करना । iii) राज्यों से और राज्यों को खाद्यान्नों की अपर्याप्त आवाजाही के बारे में राज्य सरकारों / राज्य एजेंसियों / संघ साशित क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों का निपटारा करना । iv) कठिन क्षेत्रों में और समय-समय पर चिह्नित किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात् असम / पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर, सिक्किम आदि में खाद्यान के समावेशन की समीक्षा करना, खाद्यान्नों की समीक्षा और निगरानी करना और समीक्षा बैठक जब कभी आवश्यक हो, आयोजित करना। v) केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय आदेशों के अनुसार खाद्यान्न की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामलों पर, जहां आवश्यक हो, रेलवे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना । vi) रेलवे में ट्रैफिक की बुकिंग की प्राथमिकता अनुसूची। vii) बुकिंग प्रतिबंधों में ढील के लिए रेलवे से संपर्क करना ताकि खाद्यान्न की आवाजाही और उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े । viii) देश में समय-समय पर चिह्नित किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर खाद्यान्न के वैगनों के निर्गमन को देखना। ix)एफसीआई के खाते में स्वदेशी खाद्यान्नों की आवाजाही के बारे में आधिक्य से लेकर अभाव की स्थिति तक के आँकड़ों का रख-रखाव और एफसीआई के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों से खाद्यान्नों की आवाजाही के बारे में आंकड़े मांगना। x) खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों की आवाजाही (इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट) में

राज्य सरकारों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के साथ सहायता और संपर्क / समन्वय करना। xi) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के लिए गनी बेल्स (टाट के बारे) की स्थिति, रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए अनुमानित अनुसूची, आवाजाही और समय पर उपलब्धता के संबंध में समन्वय करना। xii) विभिन्न राज्यों को लेवी शर्करा की आवाजाही के लिए शर्करा निदेशालय से शर्करा अवमुक्ति विवरण प्राप्त होने पर मासिक आधार पर विस्तृत शर्करा आवाजाही कार्यक्रम का संकलन / जारी करना। xiii) रेलवे द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान रेलवे को एफसीआई द्वारा भुगतान किए गए आवाजाही में नुकसान, विलम्ब शुल्क, घाट शुल्क आदि से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियां। xiv) पेसिंग कंडीशन रेलवे परिसर में वजन, स्पष्ट आरआर के मुद्दे, निभार के प्रावधान इत्यादि के बारे में नीतिगत मामले xv) पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि के लिए लेवी शर्करा के लदान के लिए रैक्स की आवाजाही में सहायता करना । (xvi) रेलवे बोर्ड, मंडल और पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे प्राधिकारियों, राज्य सरकारों और एफसीआई के साथ संपर्क करना। xvii) खाद्यान्नों के वित्तीय पहलुओं और लागत कारकों को छोड़कर आंतरिक खपत के लिए उनकी तटीय आवाजाही। xviii) आयातित खाद्यान्नों (सरकारी लेखे पर आयातित) की आवाजाही / शिपमेंट, शिपमेंट अनुसूची के समय से बंदरगाहों से प्रस्थान, बंदरगाहों पर आगमन और दैनिक उतराई, बंदरगाहों से निकासी और रेल या सड़क से आगे की आवाजाही की निगरानी करना ।

11. (पद आईडी सं. 21025111406) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में निदेशक (वेयरहाउस विशेषज्ञता) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.ई. / बी.टेक. या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव** : खाद्यान और अन्य वस्तुओं तथा मल्टीमॉडल लाजिस्टिक के लिए प्रबंधकीय क्षमता या गोदामों / सिलोस (10000 मैट्रिक टन या उससे अधिक) के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संभालने में वेयरहाउसिंग से संबंधित कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि । (ii) वेयरहाउसिंग और उससे संबंधित मुद्दों में अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय परिपाटियों का में ज्ञान तथा इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास जैसे वेयरहाउसिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली / कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन / आपूर्ति चेन प्रबंधन / फार्म गेट लाजिस्टिक का ज्ञान । **कार्य विवरण** : वेयरहाउसों और लॉजिस्टिक विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अवसंरचनात्मक विकास, वेयरहाउसों के विनियमन और पंजीकरण, तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन और वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक में नई तकनीक का प्रारम्भण तथा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य तकनीकी कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की निगरानी करना । लॉजस्टिक और वेयरहाउस प्रबंधन में आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से संगत डेटा और विश्लेषण की व्यवस्था करना, सर्वोत्तम मोड और पथ निर्धारण पर मंत्रालयों के साथ आपूर्ति श्रृंखला संचालन कार्य की निगरानी करना, उन पर विचार करना और लॉजस्टिक आई टी पद्धति प्रक्रियाओं का अनुकूलन करने के लिए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए समुचित और सटीक लॉजस्टिक रिपोर्टें तैयार

करना, निवेश के बहुल क्षेत्रीय इनपुट का समन्वय करना और इस क्षेत्र में वित्त, तकनीकी ज्ञान और उन्नयन, ज्ञान साझाकरण आदि का समन्वयन कार्य ।

12. (पद आईडी सं. 21025112406) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक (शिक्षा तकनीकी) का एक **(अनारक्षित)**) पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि / कम्प्यूटर विज्ञान में बी. ई. / बी. टेक. । **(ख) अनुभव** : 10 साल कार्य अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव वर्चुअल लर्निंग प्रोजेक्टस / प्लेटफार्म जैसे एम ओ ओ सी, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक्स तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पादों / समाधानों, ए आई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित व्यक्तिगत / अनुकूलक ज्ञान या किसी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी / संगठन में होना चाहिए । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एम. ई. / एम. टेक. । **कार्य विवरण** : (i) शैक्षिक ई-सामग्री, पाठ्यक्रम (एमओओएस) और परियोजनाओं / डिजिटल प्लेटफार्मों की संकल्पना, डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करना है जो ऑनलाइन शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करके शिक्षण और अभ्यास प्रदान करता है। (ii) बेहतर शिक्षण / अधिगम के परिणाम के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी में उभरती हुई तकनीकों और क्षमता की पहचान करने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाना । (iii) आईसीटी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थानों/संगठनों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करना(iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में ऑनलाइन शिक्षा में कार्यनीति / रोडमैप विकसित करना।

13. (पद आईडी सं. 21025113406) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक (शिक्षा विधि) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि और (ii) किसी राज्य बार काउंसिल में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की शर्तों के अनुसार पंजीकृत । **(ख) : अनुभव** : विधि के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, शिक्षा के क्षेत्र में विधिक सेवाएं प्रदान करना । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि । **कार्य विवरण** : (i) विधिक मामलों पर समग्र सलाह देना। (ii) विभाग में मौजूदा अधिनियमों और नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करना ताकि उन्हें सरल और अधिक प्रभावी बनाना। (iii) पूरे भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सरकारी काउंसिल के साथ और न्यायालयों में संपर्क रखना । (iv) कोई अन्य संबंधित मामले जो समय-समय पर आपके पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित किए गए हों ।

14. (पद आईडी सं. 21025114406) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक (आई सी टी शिक्षा) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : शिक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी), कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि या बी. ई. / बी. टेक. । **(ख) अनुभव** : (i) शिक्षा प्रौद्योगिकी / शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी), दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र के किसी एक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव । (ii) शिक्षा नीति मुद्दे, राष्ट्रीय नीति विकास में आई सी टी में अनुभव । (iii) शिक्षा क्षेत्र में कार्यनीतिक योजना, परियोजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी में अनुभव । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से उपर्युक्त विषयों में स्नातकोत्तर / डॉक्टरेट उपाधि (पी एच डी) । **कार्य विवरण** : i) एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे दीक्षा कहा जाता है, के विकास को गाइड करना और निगरानी करना । (ii) उच्च गुणवत्ता वाली ई-विषय-वस्तु (छात्रों और शिक्षकों के लिए) के विकास का मार्गदर्शन करना, निगरानी करना, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन सुनिश्चित करना जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से केन्द्र और राज्यों / संघ शासित क्षेत्र द्वारा सभी डिजिटल मोड-इन्टरनेट आधारित, टीवी और रेडियो के साथ सुसंगत है। (iii) शैक्षिक साफ्टवेयर और ई-विषयवस्तु की समृद्ध विविधता सुनिश्चित करने के लिए कई भाषाओं / बोलियों / मातृभाषाओं में स्कूली शिक्षा (प्री-स्कूल से 12 वीं कक्षा तक) के लिए विकसित किया जाएगा और सभी स्तरों पर छात्रों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराना। (iv) यह सुनिश्चित करना कि इस तरह के सभी सॉफ्टवेयर / ई-सामग्री सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो और दूरदराज के क्षेत्रों और दिव्यांग छात्रों सहित उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ हो । (v) सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ एनसीईआरटी सीआईइटी सीबीएसई एनआईओएस और अन्य निकायों / संस्थानों द्वारा सभी राज्यों द्वारा विकसित की जाने वाली शिक्षण सामग्री ई-विषयवस्तु के लिए समन्वय और अध्यापन अधिगम दिक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना सुनिश्चित करना । (vi) मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान और अन्य ग्रेड के लिए बाल बालिका वार ट्रैकिंग के लिए कल्पना, डिजाइन, मार्गदर्शन, समन्वय, निगरानी और आईटी आधारित समाधान करना। (vii) उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकीयों की पहचान करना जो शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य रूप से परिवर्तित कर देगी । (viii) विभिन्न प्रकार की शिक्षा तकनीकी (छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी, शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी) की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए मानक और मूल्यांकन उपकरण सृजित करना । (ix) वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास पर दिशा अनुसंधान आधारित समझ प्रदान करना। (x) राष्ट्रीय कार्यशालाओं को आयोजित, समन्वित और प्रोत्साहित करना, परियोजना प्रोजेक्ट बजट का प्रबंधन और निगरानी करना, संसाधन आबंटित करना, परियोजना निगरानी रिपोर्टें तैयार करना, सहभागियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, परियोजना संचार सामग्री विकसित करना, ब्रीफ और परियोजना बाह्य मूल्यांकन का प्रबंधन करना, आदि (xi) कोई अन्य संबंधित मामला जो समय-समय पर आपके पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित किया जाए ।

15. (पद आईडी सं. 21025115406) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक (मीडिया प्रबंधन) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता, मीडिया, विषय वस्तु लेखन में स्नातकोत्तर उपाधि या मीडिया प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन या उपर्युक्त क्षेत्रों में न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा । **(ख) अनुभव :** मीडिया प्रबंधन / विषय वस्तु लेखन के क्षेत्र में 10 (दस) वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** ऊपर उल्लिखित संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि । **कार्य विवरण:** (i) एक संचार विशेषज्ञ जो विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के लिए लक्षित विषय वस्तु का विकास तथा उसके विकास को समन्वित करे। (ii) विभाग द्वारा अपेक्षित विभिन्न प्रचार प्रसार हेतु संचार योजनाओं की तैयारी और उनका कार्यान्वयन। (iii) सभी प्रकार की मीडिया सामग्री का लेखन, प्रूफरीडिंग और संपादन करना, मीडिया अभियानों को कार्यान्वित करना और उनका प्रबंधन और जनसंपर्क तथा संचार योजनाओं का क्रियान्वयन। (iv) मौलिक विषय वस्तु को विकसित करने के लिए उद्योगों से संबंधित विषयों पर गहन शोध का संचालन करना। (v) ब्लॉग, लेख, उत्पाद विवरण, सोशल मीडिया और वेबसाइट हेतु विषय वस्तु विकासित करना। (vi) वेबसाइट पर ट्रैफ़िक बढ़ाने के लिए कीवर्ड अनुसंधान का संचालन करना और एसईओ - सर्वोत्तम परिपाटियों का उपयोग करना। (vii) मौजूदा सामग्री में कमियों को दूर करने हेतु नई सामग्री की आवश्यकताओं को चिह्नित करना और उसकी सिफारिश करना। (viii) समय-समय पर अपने पर्यवेक्षक द्वारा निदेशित किए जाने वाले कोई अन्य संबंधित मामले।

16. (पद आईडी सं. 21025116406) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक (बैंकिग) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव:** ऋण प्रणाली या भुगतान और व्यवस्थापन प्रणाली के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव सहित वित्तीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय**: (i) चार्टरित लेखाकारिता (चार्टर्ड अकाउंटेंसी), (ii) चार्टरित वित्तीय विश्लेषक, (iii) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर। **कार्य विवरण:** निम्नलिखित के संदर्भ में भारत में विधायन और सार्वजनिक नीति के विकास का विश्लेषण और प्रतिपादन : - (i) ऋण प्रणाली तथा भुगतान और व्यवस्थापन प्रणाली (बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों और भुगतान सेवा प्रदाताओं सहित); (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित शासन-विधि संबंधी पहलू; (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण और (iv) वित्तीय समावेशन एवं प्राथमिकता क्षेत्र में कर्ज देने हेतु नीति, योजना तथा कार्यक्रम; (v) बैंकिंग उद्योग में नवाचार संबंधी मामले ।

17. (पद आईडी सं. 21025117406) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक (वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक. या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विज्ञान (कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि ii) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि । iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एमसीए। **(ख) अनुभव:** वित्तीय क्षेत्र में साइबर/ सूचना सुरक्षा/ परियोजना प्रबंधन भूमिकाओं में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** i) वित्तीय क्षेत्र में साइबर/ सूचना सुरक्षा में अनुभव। ii) निम्नलिखित में से किसी एक में साइबर सुरक्षा में प्रमाणन : क) प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए)। ख) प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा पेशेवर (सीआईएसएसपी)। **कार्य विवरण:** वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा शासन-विधि । साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों में बहुल हितधारकों के साथ परियोजनाओं का प्रबंधन और समन्वय कार्यनीति तथा नीतिगत मामलों पर इनपुट प्रदान करना। उम्मीदवार गतिशील और आधुनिक साइबर सुरक्षा को लचीलापन बनाए रखने की दिशा में वित्तीय क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रयासों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा और वित्तीय क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और संभावित भावी परिवर्तनों को देखते हुए अतिरिक्त कार्य करेगा। उम्मीदवार नियामकों और अन्य एजेंसियों/ संबंधित विभागों के परामर्श से वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए भी जिम्मेदार होगा जो साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य, डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता से संबंधित कार्य और डेटा रेजीडेंसी मुद्दों में शामिल होंगे, नियमित रूप से संबद्ध होंगे वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आदि सहित विशेषज्ञ और प्रमुख संस्थान, और वित्तीय क्षेत्र में साइबर मुद्दों से संबंधित सभी कार्यों में भाग लेंगे जो विभिन्न और अंतरराष्ट्रीय मंचों/ भारत सरकार के संस्थानों/ विभागों में सामने आएंगे ।

18. (पद आईडी सं. 21025118406) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक (डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय तकनीकी) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कंप्यूटर विज्ञान/ मैकेनिकल में बी.ई./बी.टेक. या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव:** वित्त क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से ' फिनटेक कंपनियों बैंकों / वित्तीय संस्थानों / नियामकों के फिनटेक प्रकार्यों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय:** i) किसी मान्यताप्राप्त कार्यरत किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ काम करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव । **कार्य विवरण :** i) डिजिटल अर्थव्यवस्था मापन सहित राष्ट्रीय तथा वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक परिदृश्य की करीबी निगरानी । ii) नीति हस्तक्षेपों की पहचान करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए फिनटेक सहित निवेशों को सुगम बनाना और निगरानी करना। iii) डिजिटल अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान करना, कमियों को दूर करने के लिए वित्त पोषित घाटे संबंधी नीतिगत हस्तक्षेप करना, प्रगति को मापना। iv) सीमा पार के भुगतानों और धन प्रेषण सहित भारत के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों में भारत के योगदान को बढ़ाने के लिए भारत के हित में डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दों को उठाना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

19. (पद आईडी सं. 21025119406) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक (वित्तीय बाजार) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र / वित्त / व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव:** वित्तीय बाजारों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) विधि द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक उपाधि; (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्त/ अर्थशास्त्र में डॉक्टरल डिग्री । **कार्य विवरण:** (i) इक्विटी, बॉन्ड और कोमोडिटी बाजारों के साथ-साथ वित्तीय डोरिवेट्स बाजारों के समग्र विकास के लिए अपेक्षित नीतियों का प्रतिपादन; (ii) विभिन्न पूलिंग वेहिकलों / नवीन संरचनाओं के माध्यम से धन जुटाने में होने वाली बाधाओं को कम करने हेतु आवश्यक नीतियों का प्रतिपादन; (iii) स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज और क्लीयरिंग कॉरपोरेशनों के बाजार बुनियादी ढांचे में मजबूती के लिए आवश्यक नीतियों का निर्धारण और पूंजी बाजार के अधिक विकास और संघनीकरण के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाना। (iv) एफपीआई, म्युचुअल फंड, एआईएफ, डीआईआई और खुदरा निवेशकों सहित बाजार सहभागियों द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक नीतियां बनाना; (v) वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर-संबंधों की निगरानी करना ताकि उनमें जरूरी समीचीन नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान हो; (vi) भारतीय फर्मों के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए और दुनिया भर में भारतीय बाजारों के मूल्यांकन/ बेंचमार्किंग के केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु नीतिगत उपायों की पहचान करना; (vii) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत के हित के वित्तीय बाजार से संबंधित मुद्दों को उठाना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

20. (पद आईडी सं. 21025120406) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक (बीमा) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक :** किसी भी क्षेत्र में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव:** बीमा क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव आई आर डी ए आई, नियमन द्वारा विनियमित बीमा कंपनियों और ईकाइयां जो विधि / प्रशासन/ मानव संसाधन/ उपभोक्ता मामले / अनुपालन/ वित्तीय और निवेश/ व्यवसाय कार्यनीति के विशिष्ट क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री । (ii) व्यवसाय प्रशासन/ बीमा/ एक्चुरियल साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि । **कार्य विवरण:** (i) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) को आगामी नीतिगत समर्थन हेतु सरकार की नीति और बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीमा क्षेत्र में विकास का विश्लेषण; (ii) बीमा क्षेत्र में सुधारों और कानून के निर्माण से संबंधित सभी मामले; (iii)। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन और बीमा में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित/ समर्थित योजनाओं/ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा करना। (iv) आईआरडीएआई और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित शासन-विधि के पहलू; (v) बीमा उद्योगों में नवाचार से संबंधित मामले ।

21. (पद आईडी सं. 21025121406) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक (मातृत्व स्वास्थ्य मुद्दे) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक :** मान्यताप्राप्त विश्वविदयालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव:** स्वास्थ्य क्षेत्र की सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों/परियोजनाओं में पर्यवेक्षक की भूमिका में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। **कार्य का विवरण:** (i) सं.स. (आरसीएच) को सीधे रिपोर्ट करना, सं.स. (आरसीएच) तथा आरएमएनसीएचए+एन के अंतर्गत सभी कार्यक्रम प्रभागों के बीच लिंक उपलब्ध करना तथा सहायता करना। (ii) सं.स. (आरसीएच) के पूर्ण मार्गदर्शन में आरएमएनसीएचए+एन के अंतर्गत कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरएमएनसीएचए+एन के तहत सभी कार्य प्रभागों को समन्वित करना, निदेश देना तथा मार्गदर्शन करना। (iii) अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के , वित्तीय मामले, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी), संदर्भों संबंधी इनपुटों/टिप्पणियों तथा आरएमएनसीएचए+एन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त प्रशासनिक मामलों का समन्वय करना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रभागों/विभागों और अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों/संगठनों आदि के साथ इसे साझा करने से पहले सं.स. (आरसीएच) के अनुमोदन हेतु उसे संकलित करना । (iv) विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, समीक्षा मिशनों आदि के लिए आरएमएनसीएचए+एन के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों का समन्वय करना, तैयार करना तथा उसकी विस्तृत सूचना प्रदान करना। (v) आरएमएनसीएचए+एन अंत:क्षेपों का समन्वय, समीक्षा बैठकें आयोजित करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई। (vi) सभी कार्यक्रमों से संबंधित विश्लेषणात्मक कार्यों, विकसित क्षमताओं और अभिसरण योजनाओं का नेतृत्व करना ताकि आकाक्षांपूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ आरएमएनसीएचए+एन संकेतकों को प्राप्त करने में तीव्रता आए। (vii) आरएमएनसीएचए+एन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों तथा राज्य सरकारों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाना। (viii) आरएमएनसीएचए+एन के अंतर्गत वित्त प्रभाग के साथ एनएचएसआरसी, कार्यक्रम प्रभाग, एनएचएम आदि के अंतर्गत मानव संसाधन (एचआर) मामलों पर समन्वय स्थापित करना; समयबद्ध तरीके से समय पर नवीकरण एवं नई भर्ती संबंधी अनुमोदित प्रक्रियाओं को शुरू करना; एचआर अपेक्षित प्रक्रियाओं को समन्वित एवं तीव्र करना, विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना, एनएचएसआरसी की निर्धारित समय पर शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया । (ix) विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय विकास, गैर-सरकारी साझेदार, निजी क्षेत्र विन्यास, न्यास, शैक्षणिक संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों, आरएमएनसीएचए+एन मामलों पर राज्य सरकारों के साथ समन्वय तथा द्विपक्षीय समीक्षाओं/परामर्शों के लिए उच्च मूल्य इनपुट प्रदान करना तथा करार/समझौता ज्ञापनों की समीक्षा। (x) नीतियों के एकत्रीकरण, विश्लेषण, विकास एवं उसे अंतिम रूप देने में नेतृत्व तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना । (xi) कोविड-19 के दौरान तथा कोविड समय के बाद के क्षेत्र में आरएम एनसीएचए+एन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के नए तरीकों का संचालन करना तथा सलाह देना (xii) ईएफ सी/ एस एफ सी नोट, मंत्रिमंडल नोट , बजट मामलों,संसदीय मामलों, अदालती मामलो, वी आई पी संदर्भों, आर टी आई मामले, वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना (xiii) मंत्री (ओं) तथा वरिष्ठ

अधिकारियों के लिए संक्षिप्त नोट तैयार करना । (xiv) सामान्य प्रशासन (xv) कार्यक्रम से संबंधित समग्र, संतुलित तथा एकीकृत दृष्टिकोण (xvi) समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्य ।

22. (पद आईडी सं. 21025122406) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक (वित्त) एन ए सी ओ का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं : (क) शैक्षिक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** वित्तीय सॉफ्टवेयर और रिपोर्टिंग सिस्टम / वित्तीय और लोजिस्टिक प्रबंधन में वित्तीय रिपोर्टिंग/ बजट विश्लेषण के क्षेत्र में 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। **कार्य का विवरण:** (i) संगत डोनर फंडिंग के लिए बजट अनुभाग के साथ समन्वय के माध्यम से संसद के समक्ष प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की मांग अनुदान को तैयार करना / अंतिम रूप देना। (ii) प्रत्येक राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के लिए वार्षिक कार्य योजना (ए ए पी) तैयार करना। (iii) संसद के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की एस बी ई/ विस्तृत अनुदान माँग / मांग की तैयारी/ अंतिम रूप देना। (iv) संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुदान की विस्तृत माँग की जाँच से संबंधित सभी कार्य। वित्त से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के प्रश्नों पर सरकार के जवाब को अंतिम रूप देना (v) राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के सक्षम बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों के चयन और नियुक्ति से संबंधित मामले। (vi) एसएसीएस की गैर सरकारी संगठनों और परिधीय के आंतरिक लेखा-परीक्षा / सांविधिक लेखा-परीक्षा के संबंध में टीओआर का गठन। (vii) एस.ए.सी.एस. की आंतरिक सांविधिक लेखा-परीक्षा गैर-सरकारी संगठनों और परिधीय इकाइयों के आंतरिक लेखा-परीक्षा / की मॉनीटरिंग के निर्माण । (viii) वित्त वर्ष के लिए डीजीएसीआर द्वारा एनएसीओ व्यय (जीएफएटीएम द्वारा वित्तपोषित) के लेखा परीक्षा को आसान बनाना तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना। (ix) सीए द्वारा प्रस्तुत एसएसीएस की आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा। (x) संसद की लोक लेखा समिति से संबंधित विषय। (xi) अपर सचिव / संयुक्त सचिव द्वारा वांछित एमआईएस के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना। (xii) वार्षिक कार्य योजना के अनुसार समय पर लेखा-परीक्षा करना और फंड जारी करना। (xiii) एसएसीएस को आवंटित निधि के लिए एसएसीएस की वित्तीय समीक्षा। (xiv) लागू संगत वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यक्रम प्रभागों के प्रस्तावों की जांच । (xv) मानक लेखांकन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परियोजना के लिए लेखांकन प्रणाली का प्रबंध जो स्रोते के प्रलेखन की रिकॉर्डिंग करने और फंड के उपयोग को सुनिश्चित करेगा। (xvi) जीएफएएटीएम परियोजना बजटीय नियंत्रण के लिए त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्ट और त्रैमासिक वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना प्रगति रिपोर्ट में इनपुट करना। (xvii) सभी वित्तीय मामलों पर राज्यों को वित्तीय सलाह प्रदान करना। (xviii) कार्यान्वयन एजेंसियों / एसआर के लिए त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। (xix) अंतरिम अन-ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना।(xx) भुगतान वाउचर के समर्थन प्रलेखन की सटीकता और प्रासंगिकता की संवीक्षा, सत्यापन और प्रमाणीकरण। (xxi) भुगतान से पहले फंड की उपलब्धता को सत्यापित और सुनिश्चित करना। (xxii) परियोजना के खर्चों का प्रबंधन करना, जीएफएटीएम के साथ सहमत

परियोजना नियमों और प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना। (xxiii) जीआरआर नियमों 2017 के अनुपालन में और / या डोनर साथी द्वारा परिभाषित नियमों प्रक्रियाओं के अनुसार ईओआई / निविदा दस्तावेजों की तैयारी। (xxiv) विभिन्न वित्त संबंधी कार्यकलापों के समयबद्ध अनुपालन के लिए कार्यान्यवन भागीदारों के साथ समन्वय करना अर्थात अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वाउचर प्रविष्टियां पूरी करना, मासिक बीआरएस, वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वार्षिक लेखा जोखा को अंतिम रूप देना, लेखा-परीक्षा संचालित करना, एनएसीओ को यूसी और वार्षिक लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करना आदि। (xxv) एसएसीएस और क्षेत्रीय हब लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत यूसी लेखा परीक्षा तथा अन्य रिपोर्टों को सुरक्षित रखना। (xxvi) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा और आवश्यक अनुपालन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ जाँच करना। (xxvii) व्यय रिपोर्ट और बैंक सुलह विवरण सहित मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक और विशेष वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों की समीक्षा, सत्यापन और प्रमाणन करना। (xxviii) प्रोजेक्ट ऑपरेशनल मैनुअलों को तैयार करने और उसे अद्यतन बनाने में सहायता करना। (xxix) डोनर एजेंसियों और कार्यान्वयन साझीदारों / एसआर के साथ परियोजना समीक्षा बैठकों में भाग लेना। (xxx) नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

23. (पद आईडी सं. 21025123406) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में निदेशक (जल प्रबंधन) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं : (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से जल संसाधन प्रबंधन, जल विज्ञान, जल शासन, पर्यावरण और जलवायु नीति और विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** निम्नलिखित में से किसी एक में (i) जल संसाधन क्षेत्र में लोक नीति। (ii) जल संसाधन प्रबंधन में अंतःविषय परियोजनाओं / कार्यक्रमों का निष्पादन करना । (iii) जल प्रबंधन में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में कम से कम 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। **कार्य का विवरण:** (i) जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित सभी पहलू; (ii) जल संसाधन प्रबंधन, विशेष रूप से योजना, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता में; (iii) जल संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन पर जोर; (iv) भू-जल पुनर्भरण के लिए गहन कार्यक्रम, विशेष रूप से अति-दोष, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में; (v) वर्षा जल संचयन के लिए अधिक जागरूकता; (vi) भूमिगत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित संस्थानों को मजबूत बनाना; (vii) जल के उपयोग में जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाना, अपशिष्ट जल सहित जल का पुनर्चक्रण; (viii) जल कुशल तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का संवर्धन; (ix) जल के पुनःप्रयोग और पुन: उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम तकनीक अपनाना; (x) समय-समय पर पानी के लेखा- परीक्षा का संचालन करना जो पानी के उपयोग के अनुकूलन के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है, जल क्षति के स्रोतों की पहचान कर सकता है और पानी की बचत के अवसर तलाश सकता है।

24. (पद आईडी सं. 21025124406) विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में निदेशक (माध्यस्थम् एवं सुलह विधि) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि । **(ख) अनुभव:** मध्यस्थता और सुलह कानून के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि / कॉर्पोरेट विधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । **कार्य विवरण:** (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा सौंपे गए सभी मामलों पर सलाह देना। (ii) सरकारी मुकदमों से संबंधित कार्य देखना। (iii) अदालती मामलों का संचालन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित होना और सौंपे गए प्रशासनिक और अन्य कार्यों को करना ।

25. (पद आईडी सं. 21025125406) विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में निदेशक (साइबर विधि) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि । **(ख) अनुभव:** साइबर विधि के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि / साइबर विधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । **कार्य विवरण:** (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा सौंपे गए सभी मामलों में परामर्श देना। (ii) सरकारी मुकदमों से संबंधित कार्य देखना। (iii) अदालती मामलों का संचालन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से अदालतों में उपस्थित होना और सौंपे गए प्रशासनिक और अन्य कार्यों को करना।

26. (पद आईडी सं. 21025126406) विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में निदेशक (वित्त क्षेत्र विधि) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। **(ख) अनुभव:** वित्त क्षेत्र की विधि के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि / सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएस। **कार्य विवरण :** (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा सौंपे गए सभी मामलों में परामर्श देना। (ii) सरकारी मुकदमों से संबंधित कार्य देखना। (iii) अदालती मामलों का संचालन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से अदालतों में उपस्थित होना और सौंपे गए प्रशासनिक और अन्य कार्यों को करना।

27. (पद आईडी सं. 21025127406) विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय विधि) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। **(ख) अनुभव:** अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि । **कार्य विवरण:** (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा सौंपे गए सभी मामलों में परामर्श देना। (ii) सरकारी मुकदमों से संबंधित कार्य देखना। (iii) अदालती मामलों का संचालन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से अदालतों में उपस्थित होना और सौंपे गए प्रशासनिक और अन्य कार्यों को करना।

28. (पद आईडी सं. 21025128406) न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में निदेशक (न्यायिक सुधार) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक :** (i) विधि में स्नतक डिग्री । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विकास अध्ययन (लोक नीति) में एमबीए या स्नातकोत्तर डिग्री। **(ख) अनुभव:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि अनुसंधान / नीतिगत विश्लेषण / परियोजना की मानीटरिंग और मूल्यांकन / अध्यापन अनुभव के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि । **कार्य विवरण:** (i) वाणिज्यिक अदालतों के कार्यप्रणाली की निगरानी, न्यायिक सुधारों की कार्यनीतियां और विधि के क्षेत्र का ई-मॉडनाईजेशन । (ii) संविदा व्यवस्था को लागू करने में अदालती प्रणाली के कार्यनिष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन। (iii) वाणिज्यिक न्यायालयों के सांख्यिकी और आंकड़ों का विश्लेषण। (iv) न्यायिक सुधारों के लिए रणनीति, न्याय वितरण प्रणाली में सुधार और विधि के क्षेत्र में आईसीटी की भागीदारी से संबंधित विषयगत मामलों को देखना।

29. **(पद आईडी सं. 21025129406)** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक (राजमार्ग विकास हेतु नई प्रौद्योगिकी) का एक **(अनारक्षित)**) पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक। **(ख) अनुभव:** प्रत्येक 100 करोड़ रुपये से अधिक की कम से कम 2 परियोजनाओं के लिए राजमार्ग क्षेत्र में डीपीआर की डिजाइनिंग / तैयारी में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव अथवा सीधे राजमार्ग अनुसंधान या राजमार्ग क्षेत्र पर अनुसंधान / शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय / सहयोग में न्यूनतम 4 वर्ष के अनुभव के साथ राजमार्ग क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री । **कार्य का विवरण:** (i) राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए नई सामग्री और प्रौद्योगिकियों की पहचान करना ताकि उनके निर्माण में तेजी लाई जा सके, और लागत प्रभावी तथा दीर्घकालिक चलाने वाली सुविधा प्रदान की जा सके। (ii) स्थानीय रूप से उपलब्ध बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना । (iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य निष्पादन स्थायित्व और रेटिंग की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना । (iv) देश में नए अनुसंधान और विकास को सुकर बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक

संस्थानों के साथ सहयोग / समन्वय। (v) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों / वस्तुओं के लिए मानकों और विनिदेशों को तैयार करना ।

30. (पद आईडी सं. 21025130406) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में निदेशक (शिक्षा उद्यमिता में नवाचार) का एक **(अनारक्षित)** पद । **अनिवार्य योग्यताएं (क) शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ख) अनुभव :** इनमें से किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान / कॉरपोरेट अकादमी / कॉरपोरेट अधिगम और विकास कार्य / विख्यात व्यवसायिक शिक्षा अकादमी / बिजनेस इन्क्यूबेटरों / कौशल विकास और उद्यमिता में सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों के संचालन में से होगा **अथवा** उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों में 10 वर्षों का अनुभव। **वांछनीय** (i) सीखने की कार्यप्रणाली, सीखने की सुविधा, वयस्क अधिगम पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण योजनाओं का विकास, आकलन एवं प्रमाणपत्र, निर्देशात्मक डिजाइन में अनुभव। (ii) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अनुभव। (iii) अधिगम विकास की पहलों के व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन, व्यापक स्तर / जमीनी स्तर पर प्रभाव के लिए कौशल निर्माण पहलों के विकास में अनुभव। (iv) एमओओसी / ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की योजना और विकास में अनुभव। **कार्य का विवरण:** (i) शिक्षा और प्रशिक्षण में नवाचार (उद्यमशीलता) - उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मानकों के नवाचार करने और निर्धारण की योग्यता । (ii) मुख्य रूप से सिस्टम के कुशल, अकुशल और अनौपचारिक श्रमिकों को लक्षित नवाचार उद्यमशीलता कार्यक्रमों की कल्पना करना और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में इसके कार्यान्वयन को अंजाम देना। (iii) सूक्ष्म उद्यमी या कौशल उद्यमियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कुशल या व्यक्तिगत अकुशल या व्यक्तियों को लक्षित करते हुए उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का निर्माण, विकास और संरचना । इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी में इसके कार्यान्वयन में शामिल होना। (iv) क्षेत्र में अधिगम और विकास, अधिगम पद्धतियां, प्रौद्योगिकी की प्रगति के क्षेत्र में नवाचारों की सतत समीक्षा। (v) उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर प्रभावी पहलों / योजनाओं की योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें लागू करना। (vi) योजना पहलों की उद्यमियता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ कार्य करना । जो इच्छुक उद्यमियों और उन अन्य लोगों को शुरू से अंत तक मूल्य प्रदान करते हैं जिन्हें अपने उद्यम को विकसित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। (vii) उद्यमियता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर विषय वस्तु और शिक्षण सामग्री की पतलों, विकास और मानकीकरण विषय वस्तु की योजना बनाना जो उद्यमिता के क्षेत्र में लोगों को बेहतर करने के लिए प्रभावित करने में सक्षम हो ।

(महत्वपूर्ण)
ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 22.03.2021 को 23:59 बजे तक है ।
पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 23.03.2021 को 23:59 बजे तक है ।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।
साक्षात्कार की तारीख, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

पात्रता

संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए 15 वर्ष के न्यूनतम अनुभव तथा निदेशक स्तर के पदों के लिए 10 वर्ष के अनुभव के साथ निम्नलिखित आवेदन करने के पात्र हैं:-

क. किसी भी राज्य / संघ शासित क्षेत्र के ऐसे अधिकारी जो पहले से ही समकक्ष स्तर के पद पर कार्य कर रहे हैं अथवा संगत अनुभव के साथ अपने संवर्ग में समकक्ष स्तर पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।

ख. ऐसे अधिकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में तुलनीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं ।

ग. ऐसे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुराष्ट्रीय संगठनों में तुलनीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं ।

तुलनीय स्तर

तुलनीय / समकक्ष स्तर को निम्नानुसार परिभाषित किया जाएगा:

संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2018-19 या 2019-20 में से किसी भी के दौरान फॉर्म -16 / आईटीआर (या फॉर्म -16 / आईटीआर के अभाव में वेतनपर्ची) के अनुसार रु 20 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।

निदेशक स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्त वर्ष 2018-19 या 2019-20 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म -16 / आईटीआर (या फॉर्म -16 / आईटीआर के अभाव में वेतनपर्ची) के अनुसार 15 लाख प्रति वर्ष रु होना चाहिए।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार के कर्मचारी इन पदों पर आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।

आयु तथा वेतन

संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 40 एवं 55 वर्ष है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग रू. 2,21,000/- होगा) ।

निदेशक स्तर के पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 35 एवं 45 वर्ष है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग रू. 1,82,000/- होगा) ।

तथापि, सरकार, नियुक्त होने वाले सुपात्र व्यक्तियों को वेतनमान के भीतर समुचित स्तर पर रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है ।

आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी ।

अन्य शर्तें

1. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली और समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी अन्य संविधियों के उद्देश्य से नियुक्त सभी व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाएगा ।

2. रोजगार संविदा को न्यूनतम 3 महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in देखें। "उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" सहित विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in और वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर प्रदर्शित किया गया है ।

टिप्पणी :

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे पदों के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय अपेक्षाओं तथा नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, या

2. **न्यूनतम अनिवार्य योग्यताएं :** सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हैं। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी -I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी -II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग शार्टलिस्ट किए जाने के निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को तर्कसंगत सीमा तक कम कर सकता है :

(i) वांछनीय योग्यता (वां.यो.) (किसी एक या दो या अधिक के संयोजन से या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है) ।

(ii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(iii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा उच्च संगत शैक्षिक योगयता के आधार पर।

इसलिए, उम्मीदवारों को चाहिए कि न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त, संगत क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करें।

महत्वपूर्ण
साक्षात्कार में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर कुल 100 (एक सौ) अंकों में से 50 (पचास) अंक होंगे ।

3. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यत: वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) आदि या यदि अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों को प्रत्येक दावे के समर्थन में अलग-अलग पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक न हो तथा "अपलोड अन्य दस्तावेज" के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे।

निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि दर्शाई गई हो, या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष की अंकतालिका या समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्म-तिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (तमिलनाडु और केरल के मामले में) ।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की प्रति । डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र अपलोड किया जा सकता है।

(ग) समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार शैक्षिक योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए उस आदेश / पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया है ।

(घ) अनुभव के लिए नियोक्ता के द्वारा जारी अद्यतन और पूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है (प्रारूप के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में लिंक दिया गया है) जिसमें कार्यों की प्रकृति, दिनांक और अनुभव की अवधि, स्तर / स्थिति, जिम्मेदारियों आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। यदि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़, किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

इसी तरह, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, लेकिन उस के समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि के लिए नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है तब उस स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। संगत अनुभव की केवल उस समय अवधि पर विचार किया जाएगा जिसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

आमतौर पर, नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, स्थानांतरण आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, तैनाती आदेश, शपथ पत्र और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रमाणपत्र या स्व रोजगार प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र को अनुभव का प्रमाण नहीं माना जाता है। तथापि, यदि उम्मीदवार दिए गए प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कोई भी दस्तावेज जिसमें दावा किए गए अनुभव, कार्य की प्रकृति और अवधि का उल्लेख हो, प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। ।

उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी सही हो ।

(ड.) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप (लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas) में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पी डब्ल्यू बी डी) के लिए प्रमाण पत्र ।

(च) किए गए किसी भी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

<u>टिप्पणी</u> : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण विधिवत रूप से स्वप्रमाणित करके अपलोड करना होगा ।

(iii) **महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।**

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन आवेदन को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की <u>आवश्यकता नहीं है</u>। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 4 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा ।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

3. (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

" चेतावनी " :

ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा की गई योग्यता और अनुभव की जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्ट या शार्टलिस्ट करने योग्य हों। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों, दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों को शार्टलिस्ट करने का आधार बनाया जाएगा। अत: उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए निम्न से विवर्जित भी कर सकता है :

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से ।**

4. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र में दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न होने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र को (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करना होगा जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए अनुभव के समर्थन में मूल दस्तावेज।

ड.) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पी डब्ल्यू बी डी) के लिए प्रमाण पत्र (लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas)।

(च) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **<u>महिलाओं के विवाह के मामले में</u>** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **<u>महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में</u> -** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) **<u>तलाकशुदा महिलाओं के मामले में</u> -** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) **<u>अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन होने के मामले में</u>** - एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर शपथ आयुक्त के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(छ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में उल्लिखित जन्म की तारीख निर्णायक है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : *<u>उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट करने के संबंध में वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को नहीं गिना जाएगा</u> I*

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अधिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

5. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज में या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी भी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया हुआ/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

कोई उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ख) जाली आदमी बनकर (प्रतिरूपण करके) परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया है, अथवा

(घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा

(ड) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(छ) परीक्षण के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।

(ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और / अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा, उनके द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

6. अन्य सूचना / अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या निजी रोजगार में हों, उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही नियमित सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/ घंटेवार भुगतान/संविदा

आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख होगी।

(ग) यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकरण का उल्लेख (संख्या तथा तारीख के साथ) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है ।

(घ) उम्मीदवारों को आवश्यकता पडने पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए नई दिल्ली में अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है।

(ड.) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(च) उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य जांच कराने के लिए तैयार रहना होगा और चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा ।

(छ) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग, भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(ज) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

(ग) विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए **निर्धारित प्रपत्र** के प्रारूप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स के (लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas) के तहत भर्ती शीर्ष में उपलब्ध कराए गए हैं। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और तदनुसार भर सकते हैं।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार हॉल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।